तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/3/20	पत्रावली पेश हुई चूंकि S.D.O. साहब दौरे पर, बिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/4/2020 को पेश हों।
22/4/20	कोरोना के कारण पत्रावली पेश हुई चूंकि S.D.O. साहब दौरे पर, बिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 9/6/2020 को पेश हों।
9/6/20	कोरोना के कारण पत्रावली पेश हुई ~~चूंकि S.D.O.~~ साहब दौरे पर, बिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/7/2020 को पेश हों।
22/7/20	due to Corona पत्रावली पेश हुई चूंकि S.D.O. साहब ~~दौरे पर, बिगर कार्य में व्यस्त~~ वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/8/2020 को पेश हों।
27/8/20	बमुलाहजा उपर) वकील वादी, वादी फौत के स्था. हेतु प्रार्थना पत्र पेश करके समय चाहते हैं। पूर्व में दिनांक 13/5/19, 26/11/19 व 27/8/20 को फौत पर समय दिया गया है। एक अन्तिम अवसर और/ समय दिया जाता है। आइन्दा वादी के फौत वारिसान पर दिया जाता है। आपत्ति का जवाब पेश करने का समय चाहते हैं। अन्तिम अवसर दिया जाता है। वकील अप्रार्थी सा. ... ने प्रार्थी सं. 7 की तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करते हैं। जवाब आइन्दा दिनांक 3/9/20 को पेश हो। 5/20
3/9/20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 188 का वाद दिनांक 18/6/2008 से पेश किया गया। वादी सं. 01 की फौत हुए लम्बा समय हो चुका है दिनांक 16/3/2017 की आदेशिका के अनुसार न्यायालय द्वारा अधिवक्ता

Signature Not Ve
Digitally signed by B
Date: 2020.09.23 11
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु... की तामील में जारी...
	मूल वादी के का० मु० बाबत प्रार्थना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा अपने हस्ताक्षर से Noted भी किया गया। उसके बाद से वादी को अनेकानेक अवसर, अन्तिम अवसर, एवं चार बार कोस्ट अवसर, अतिरिक्त अन्तिम अवसर प्रदान किये गये। लेकिन इसके बावजूद वादी द्वारा न तो आज दिनांक तक उक्त निर्देश की अनुपालना की है तथा न ही कोस्ट राशि का भुगतान किया है। अधिवक्ता वादी आज भी अवसर दिये जाने की मांग कर रहे हैं, वाद के चलाने की वादी की जिम्मेदारी है तथा न्यायालय द्वारा वादी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अतः और अधिक अवसर दिया जाना उचित विधि सम्मत एवं न्यायोचित नहीं जान पड़ता है। अतः वादी का वाद अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया है तथा मूल वादी दगलाराम प्रतिदावा में बतौर प्रतिवादी नियोजित है उसी प्रकार प्रतिदावा का प्रति. नं. 7 धर्मी जो मूल वाद में पक्षकार नहीं है तथा आज दिनांक तक तलबी नहीं हुई है तथा न ही मूल वाद के प्रति. को प्रतिदावा के अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त प्रति. नं. 7 धर्मी [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis...
Date: 2020.09.23 11:44:59 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हेतु आज दिनांक तक तलबाना पेश किया है। दिनांक 15/6/2019 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी के प्रति. सं. 07 धर्मी की तामील हेतु तलबाना पेश करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक अधिवक्ता प्रति. द्वारा पालना करने में असमर्थ रहे हैं। अतः आदेश 9 नियम 05 CPC के तहत प्रतिवादीगण का प्रतिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नम्बर 17 का हो। बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर रिकार्ड/अभिलेखागार किया हो। [signature] SCJ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.09.23 11:44:59 IST
Reason: SelfAttested